

प्रेषक,

दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
स्कूल शिक्षा,  
उ०प्र० लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2022

विषय-परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को-लोकेटेड) 8912 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर क्रय प्रक्रिया को निर्धारित करने एवं अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-प्री-प्राइमरी/को-लोकेटेड फर्नीचर/660/2021-22, दिनांक 06.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को-लोकेटेड) 8912 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर क्रय प्रक्रिया को निर्धारित करने एवं अनुमोदन प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में शासन से अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित 8912 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु आयुवर्ग 3 से 6 तक के बच्चों हेतु फर्नीचर (शिशु डेस्क) उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रू० 1381.36 लाख (रूपये तेरह करोड़ इक्यासी लाख छत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को-लोकेटेड) 8912 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु अनुमोदित धनराशि के क्रम में आयुवर्ग 3 से 6 के बच्चों हेतु फर्नीचर (शिशु डेस्क) उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

- (1) प्रदेश के 75 जनपदों के 8912 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु इकाई लागत रू० 15,500/- की दर से कुल रू० 1381.36 लाख (रूपये तेरह करोड़ इक्यासी लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अनावर्तक मद में अनुमोदित की गयी है।
- (2) जेम पोर्टल(GEM Portal) प्रक्रिया का अनुपालन- भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र दिनांक 16.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) के कार्यवृत्त के Clause 9L (page No. 30) के अनुसार- एफ०एम०एण्डपी० मैनुअल में निर्धारित क्रय मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित क्रय आदि जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।
- (3) उपरोक्त अनुमोदन के क्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० द्वारा राज्य स्तर पर फर्नीचर विशिष्टियों, के निर्धारण हेतु अपर परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तदनुसार गठित समिति में सदस्य के रूप में नामित राज्य परियोजना कार्यालय में आबद्ध अवर अभियन्ताओं द्वारा मार्केट में उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए फील्ड टेस्ट से प्राप्त परिणामों के आधार पर पूर्व प्राथमिक स्तर के आयुवर्ग हेतु फर्नीचर की विभिन्न डिजाइन तैयार की गयी है।
- (4) फील्ड टेस्ट से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर डिजाइन में यथावश्यक परिवर्तन करते हुए शिशु डेस्क की डिजाइन पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। समिति द्वारा यह संस्तुति भी की गयी कि जेम पर अपलोड की गयी बिड में प्राप्त न्यूनतम

दर के सापेक्ष फर्नीचर डेस्क/शिशु डेस्क इकाइयों का कय करते हुए अवशेष धनराशि का उपयोग बच्चों के बैठने हेतु इंटरलॉकिंग फोम मेट-24 x 24inch Thickness 15mm के अनुसार कय किया जाये।

- (5) डिजाइन का मानकीकरण एवं वेटिंग (लोक निर्माण विभाग द्वारा)-समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष डिजाइन का मानकीकरण एवं वेटिंग के बारे में लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 21.03.2022 द्वारा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए- शिशु डेस्क की साइज 950 x 355x240MM को उचित पाया गया है।

Design (For Shishu Desk)	Size of shishu desk 950 x 355x240 Mild steel square frame 25 x 25 x 1 Base leg 16 mm dia MS round pipe with wall thickness 1.2 P.P. sheet (Moulded) on Top 4 mm.	Children sitting on MAT	For Two Student	Rs. 1080.00
--------------------------------	--	-------------------------------	--------------------	----------------

उक्तानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय से संबंध अवर अभियंता द्वारा तैयार की गयी विस्तृत डिजाइन संलग्न की गयी है।

- (6) निर्धारित विशिष्टिकरण के अनुसार शिशु डेस्क के कय किये जाने हेतु प्रस्ताव-

उपर्युक्त फर्नीचर जनपद स्तर पर कय हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है-

1. कय प्रक्रिया- जनपदों द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित संख्या में फर्नीचर कय की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए फर्मों के आवद्धीकरण, अनुबंध प्रक्रिया एवं फर्नीचर आपूर्ति के पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया जनपद स्तर पर ही क्रियान्वित की जायेगी, जिसके अंतर्गत निविदा मूल्यांकन कमेटी/कय समिति का गठन किया जायेगा।

जिलाधिकारी

- अध्यक्ष।

मुख्य विकास अधिकारी

- उपाध्यक्ष।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

- सदस्य।

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

- सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

- सदस्य सचिव।

जिला कार्यक्रम अधिकारी

- सदस्य।

सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी

- सदस्य।

जनपद के राजकीय पॉलिटैक्निक/आईटीआई के

प्राचार्य द्वारा नामित तकनीकी विशेषज्ञ

-सदस्य।

उक्त समिति आपूर्तित फर्नीचर के गुणवत्ता सत्यापन हेतु अधिकृत होगी।

2. फर्नीचर कय हेतु प्रस्तावित निर्गत प्रक्रिया (जेम द्वारा) एवं आपूर्ति प्रक्रिया की प्रमुख विशिष्टियां-

जेम पोर्टल के माध्यम से जनपदों द्वारा शिशु डेस्क एवं संबंधित फोम मेट का कय किया जाना है। उक्त हेतु जनपद द्वारा ई-बिड अपलोड करते समय निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तरीय कय समिति क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी-

A. Scope of Work with Additional Term and Condition

B. Format of Advertisement

C. Agreement

- A. अतिरिक्त नियम एवं शर्तों के साथ कार्यक्षेत्र (Scope of Work with Additional Term and Condition) -जनपदों में जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर कय हेतु एक

विस्तृत Scope of Work with Additional Term and Condition जनपद स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित विशेषताओं को सम्मिलित किया जाये-

- i. निविदाकर्ता फर्म एवं Original Equipment Manufacturer Firm (O.E.M.) फर्म का न्यूनतम वित्तीय कारोबार (Financial Turnover) – निविदादाता फर्म अथवा Original Equipment Manufacturer Firm (O.E.M.), दोनों का ही औसत न्यूनतम टर्न ओवर विगत 03 वर्षों में अनुमानित निविदा मूल्य (Estimated Bid Value) का न्यूनतम 60 प्रतिशत होना चाहिये।
- ii. निविदादाता फर्म का अनुभव (Past Experience of Five Year period before Bid opening date) –
  - निविदादाता द्वारा पूर्व में फर्नीचर से संबंधित कम से कम 01 आपूर्ति की जा चुकी हो, जिसका मूल्य जनपद की कुल निविदा मूल्य (Bid Value) का न्यूनतम 35 प्रतिशत हो।

अथवा
  - निविदादाता द्वारा पूर्व में फर्नीचर से संबंधित कम से कम 02 आपूर्ति की जा चुकी हो, जिसका मूल्य जनपद के कुल निविदा मूल्य (Bid Value) का न्यूनतम 20 प्रतिशत पृथक-पृथक हो।

अथवा
  - निविदादाता द्वारा पूर्व में फर्नीचर से संबंधित कम से कम 03 आपूर्ति की जा चुकी हो, जिसका मूल्य जनपद के कुल निविदा मूल्य (Bid Value) का न्यूनतम 15 प्रतिशत पृथक-पृथक हो।
  - इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि निविदाकर्ता/ओईएम फर्म द्वारा पूर्व में की गयी आपूर्ति निविदा खुलने की तिथि से पिछले 05 वर्ष से ही संबंधित होनी चाहिए एवं यह आपूर्ति किसी केन्द्रीय/राज्य स्तरीय सरकारी विभाग, पीएसओ, पब्लिक लिस्टेड कम्पनी, लोकल बॉडीज इत्यादि में की गयी हों।
- iii. फर्नीचर पर उपलब्ध करायी जाने वाली गारन्टी एवं वारन्टी (Gaurantee & Waranty): – चयनित निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले सभी फर्नीचर (शिशु डेस्क) की गारन्टी एवं वारन्टी न्यूनतम 03 वर्ष अनिवार्य होगी। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त अवधि में आपूर्तिकर्ता फर्म को फर्नीचर के टूट-फूट जैसी स्थिति में ऑनसाइट (On Site) वारन्टी प्रदान करनी होगी अर्थात् फर्नीचर के प्रतिस्थापन (Replacement) अथवा रख-रखाव (Maintenance) का कार्य विद्यालय में जाकर करना होगा।
- iv. कार्य निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) – चयनित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) के रूप में फर्नीचर आपूर्ति हेतु प्राप्त किये गये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का न्यूनतम 10 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में उपलब्ध कराना होगा, जिसकी अवधि 03 वर्ष होगी।
- v. परिवहन/दुलाई व्यवस्था (Transportation/Carriage): – चयनित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा फर्नीचर (शिशु डेस्क) का वितरण (Delivery) सीधे विद्यालय में अनिवार्य रूप से करना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फर्नीचर के स्पेशिफिकेशन एवं श्रेणी को विद्यालयवार सूची विद्यालय के अधिकृत सम्पर्क सूत्र एवं पते के साथ आपूर्तिकर्ता को पूर्व से उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- vi. आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर के Sample का Live Demonstration - निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाली फर्म/निविदादाता को Tender



Evaluation Committee के समक्ष फर्नीचर के Sample का Live Demonstration करना होगा, जिससे कि निविदा समिति अपने फीडबैक के द्वारा Sample फर्नीचर को निर्धारित मानकों के अनुसार Modified कर सके।

- vii. **देरी के कारण दण्डात्मक धारा (Detailed Penalty Clause)**—इसके अन्तर्गत Detailed Penalty Clause दिया गया है, जिसके माध्यम से Final Delivery में देरी होने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही के रूप में आपूर्तिकर्ता पर Weekly Penalty लगायी जा सकेगी।
- viii. **अन्य व्यय (Other Expenses)**—निविदादाता द्वारा फर्नीचर के क्रय हेतु फर्नीचर निर्धारित लागत के अतिरिक्त Transportaion Cost, Logistic Charges, Packaging Charges, Cost of Warranty, Taxes इत्यादि को सम्मिलित करते हुये निविदा की कुल दर उपलब्ध करायी जायेगी।
- ix. **भुगतान प्रक्रिया(Term of payment)**—भुगतान प्रक्रिया हेतु एग्रीमेंट में दिये गये एनेक्सर Annexure IV के अनुसार—
  - (a) बिड में जनपद हेतु निर्धारित संख्या के सापेक्ष 50 प्रतिशत शिशु डेस्क की आपूर्ति के सापेक्ष गुणवत्ता परीक्षणोपरांत प्रथम चरण का भुगतान किया जायेगा।
  - (b) बिड में निर्धारित संख्या के सापेक्ष 100 प्रतिशत आपूर्ति के पश्चात् अवशेष भुगतान गुणवत्ता बिंदुओं के परीक्षण के पश्चात् किया जायेगा एवं एग्रीमेंट में दिये गये अन्य संबंधित बिंदुओं के अनुपालन के पश्चात् भुगतान जिला परियोजना मद (D.P.O.) में स्थानान्तरित धनराशि से किया जायेगा। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आपूर्तिकर्ता फर्म को विद्यालयों में फर्नीचर वितरण से पूर्व किसी भी प्रकार का एडवांस पेमेन्ट नहीं किया जायेगा।

- B. विज्ञापन प्रारूप (Format of Advertisement)** :-G.F.R. (General Finance Rules) 149 में किये गये संशोधन दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि "The GEM SPV will ensure adequate publicity including periodic advertisement of the item to be procured through GEM from the prospective suppliers".

तदक्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में चिन्हित लोकेटेड आंगनवाडी केन्द्रों हेतु फर्नीचर क्रय हेतु Product Specific क्रय प्रक्रिया प्रथम बार की जा रही है इसलिये उपरोक्त सम्पूर्ण क्रय प्रक्रिया के पारदर्शी निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रण को कम से कम 02 समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराया जायेगा।

- C. सहमति पत्र (Agreement)**— उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के साथ ही फर्नीचर क्रय प्रक्रिया के दौरान जनपदीय कय समिति कय प्रक्रिया को विधिक रूप से त्रुटि रहित पूर्ण करने के लिए टेण्डर प्रक्रिया में आबद्ध की जा रही आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ अनुबन्ध प्रपत्र तैयार करेगी। अनुबन्ध की शर्तों में यथावश्यक संशोधन विधिक नियमों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तरीय समिति करने हेतु अधिकृत है किंतु संशोधन के कारण एवं उससे संबंधित विधिक नियमों को स्पष्ट करने का दायित्व जनपदीय समिति को होगा।

3. आगणन में बाजार दरों पर आधारित मदों हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य सम्पादित किया जायेगा।

4. जेम पर अपलोड की गयी बिड में प्राप्त न्यूनतम दर के सापेक्ष फर्नीचर डेस्क/शिशु डेस्क इकाइयों का क्रय करते हुए अवशेष धनराशि का उपयोग बच्चों के बैठने हेतु इंटरलॉकिंग फोम मेट 24 x 24inch Thickness 15mm में क्रय किया जाये।

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव दिनांक-06.05.2022 के क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को-लोकेटेड) 8912 आंगनवाडी केन्द्रों हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर क्रय प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से निर्धारित करने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि फर्नीचर

(शिशु डेस्क) क्रय में निर्धारित की गयी व्यवस्था व समय-समय पर दिये गये एम0एस0एम0ई0 (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 को अधिकृत किया जाता है कि समय-समय पर इसका अनुश्रवण किया जायेगा तथा समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( दीपक कुमार )  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1051 (1)/68-5-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।


आज्ञा से,

( सत्य प्रकाश )  
अनु सचिव।

# Estimate of furniture (Desk) for Pre-Primary School (For Two Children) as per PWD recommendation

S.No.	Item of works	Measurement	Quantity	Rate (Rs.)	Amount
1	Providing, Fabricating and welding of members of frame for furniture.				
(a)	Mild steel square Hollow section of size 25 x 25 and thickness of wall 1.0 mm for top of frame				
	DAR - 10.26.1	2 x 0.95 = 1.9 M			
		3 x 0.305 = 0.915 M			
		Total - 2.815			
	Wt. of pipe @ 0.7536 kg/m	2.815 x 0.7536	2.12	113.00	239.56
(b)	16 mm dia MS Pipe for support of top with ERW tube wall thickness 1.2 mm DAR-10.26.2				
	Inclined/vertical	4 x 0.240 = 0.96 M			
	Horizontal Member	2 x 0.355 = 0.71 M			
		Total - 1.67 M.			
	Wt. of ERW tube @ 0.44 Kg/m	1.67 x 0.44	0.7348	99.00	72.75
2	Providing and fixing 4 mm th. PP Sheet	0.95 x 0.355 = 0.34			
		2 x 0.95 x 0.025 = 0.05			
		2 x 0.355 x 0.025 = 0.02			
	Total = 0.41 M2	0.41 M2	1198.00	491.18	
3	Painting works Scb PWD 641+642	2x0.95x0.355=0.675	0.774	112.00	86.69
		1.98 x 0.05 = 0.099		Total	890.17
4	Add 2% as contigency			(+)	17.80
5	Add 18% as GST of S Total			(+)	163.44
6	Add 1% as Labour cess			(+)	9.08
				G.Total	1080.49
				Say RS.	1080.00

  
 (Anil Dikar)  
 प्रमुख अभियन्ता  
 कर्मचारी शिक्षा  
 विभाग, अहमदाबाद, गुजरात

  
 (सरोजा मन्जु झा)  
 प्रमुख अभियन्ता  
 समस्त शिक्षा  
 विभाग, अहमदाबाद, गुजरात